

क्रम संख्या-103

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 जुलाई, 2004 ई०

श्रावण 06, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या टी0सी0-1/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004

देहरादून, 28 जुलाई, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (2004-2005 का विनियोग) विधेयक, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल विनियोग (2004-2005 का विनियोग) अधिनियम, 2004

(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2004)

31 मार्च, 2005 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2004-2005 का विनियोग) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2004-
2005 के लिए
रु० 78653958000
का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2004) की अनुसूची के स्तम्भ-7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रु० 78653958000 (रु० सात हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ उन्तालीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
01. विधान सभा	राजस्व	60906	6658	67564
	पूंजी	0	0	0
02. राज्यपाल	राजस्व	0	18515	18515
	पूंजी	0	0	0
03. मंत्रिपरिषद्	राजस्व	107651	0	107651
	पूंजी	0	0	0
04. न्याय प्रशासन	राजस्व	329891	91051	420942
	पूंजी	154000	0	154000
05. निर्वाचन	राजस्व	145505	0	145505
	पूंजी	0	0	0
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1616293	7963	1624256
	पूंजी	1392600	0	1392600
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	11234419	8743644	19978063
	पूंजी	630502	5711012	6341514
08. आबकारी	राजस्व	39105	0	39105
	पूंजी	10000	0	10000
09. लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	35243	35243
	पूंजी	0	15000	15000
10. पुलिस एवं जेल	राजस्व	3030885	0	3030885
	पूंजी	444930	0	444930
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	12262151	0	12262151
	पूंजी	511903	0	511903
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2527377	0	2527377
	पूंजी	658537	0	658537

1	2	3			
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2881393	0	2881393
		पूँजी	80001	0	80001
14.	सूचना	राजस्व	141825	0	141825
		पूँजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	2211885	0	2211885
		पूँजी	680059	0	680059
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	321573	0	321573
		पूँजी	10002	0	10002
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1619410	0	1619410
		पूँजी	63601	0	63601
18.	सहकारिता	राजस्व	111751	0	111751
		पूँजी	110036	0	110036
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	2256111	0	2256111
		पूँजी	378032	0	378032
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1696009	0	1696009
		पूँजी	1049108	0	1049108
21.	ऊर्जा	राजस्व	1180069	1	1180070
		पूँजी	3559001	0	3559001
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	1919690	16530	1936220
		पूँजी	2550453	0	2550453
23.	उद्योग	राजस्व	572498	0	572498
		पूँजी	1280409	0	1280409
24.	परिवहन	राजस्व	114235	0	114235
		पूँजी	370001	0	370001
25.	खाद्य	राजस्व	138706	0	138706
		पूँजी	5901	0	5901
26.	पर्यटन	राजस्व	123745	0	123745
		पूँजी	262900	0	262900
27.	वन	राजस्व	2084939	1320	2086259
		पूँजी	37200	0	37200
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	476015	10	476025
		पूँजी	53001	0	53001
29.	औद्यानिक विकास	राजस्व	508393	2403	510796
		पूँजी	1	0	1
योग		राजस्व	49712430	8923338	58635768
		पूँजी	14292178	5726012	20018190
महायोग			64004608	14649350	78653958

आज्ञा से,

यू०सी० ध्यानी,
सचिव।